



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

“बिटा बिल्डिंग”, 9 वी मंजिल / “BETA BUILDING”, 9th FLOOR

आय-थिंक टेक्नो कॅम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS

कांजुर गाँव रोड / KANJUR VILLAGE ROAD

कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST)

मुंबई - 400 042 / MUMBAI - 400 042

Tele: 022-25752040/1/2/3

Fax: 022-25752029/35

E-mail: dgship-dgs@nic.in

Web: www.dgshipping.gov.in

टेलीफोन: 022-25752040/1/2/3

फैक्स: 022-25752029/35

ई-मेल: dgship-dgs@nic.in

वेब: www.dgshipping.gov.in

पीबी-30-विविध(13)/2017

दिनांक:22.03.2018

कार्यालय आदेश संख्या 17/2018

नौवहन महानिदेशक ने नौवहन महानिदेशालय और इसके अंतर्गत आने वाले कार्यालयों सभी पदों के संवर्ग समीक्षा और भर्ती नियमों की समीक्षा करने के लिए कन्सलटेंट के रूप में श्रीमती सुनीता कोलेकर सेवा निवृत्त संयुक्त सचिव, महाराष्ट्र सरकार को कार्य पर लगाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है ।

1) कन्सलटेंट के रूप में श्रीमती सुनीता कोलेकर को दी गए कार्य और उनकी सीमा नीचे बताई गई है ।

ए) नौवहन महानिदेशालय और इसके अंतर्गत कार्यालयों के सभी पदों भर्ती नियमों की समीक्षा ।

बी) नौवहन महानिदेशालय और उसके संबद्ध कार्यालयों की सभी पदों के भर्ती नियमों की समीक्षा ।

सी) उपर्युक्त परियोजना 6 मास की अवधि में पूरा करना है ।

डी) कन्सलटेंट द्वारा निम्नोक्त कार्य किया जाएगा ।

i) संवर्ग समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

ii) भर्ती नियमों की समीक्षा प्रस्तुत करना ।

2) कन्सलटेंट के रूप में श्रीमती सुनीता कोलेकर को कार्य पर लगाए जाने के लिए शर्तें और निबंधनों नियमानुसार होंगे।

i) कन्सलटेंट को पूरी परियोजना के लिए एक मुश्त (तीन लाख रूपए मात्र) भुगतान किया जाएगा ।

ii) यह नियुक्ति पूर्णकालीन आधार पर होगी तथा नौवहन महानिदेशालय में कन्सलटेंट की अवधि के दौरान कोई अन्य कार्य करने की अनुमती नहीं होगी ।

iii) कन्सलटेंट को सीसीएस. (आचार) नियम 1964 के अंतर्गत नियत नियमों के अनुसार में अनुशासन बनाए रखने और पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने की अपेक्षा होगी ।

iv) कन्सलटेंट की नियुक्ति अस्थाई रूप से की जाएगी और बिना कीई कारण बताए ऐसा किसी भी समय समाप्त किया जा सकेगा ।

v) कन्सलटेंट किसी अधिनियम / नियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी लाभ का दावा नहीं करेगा।

vi) कन्सलटेंट को पूर्वोक्त शर्त और निबंधनों के प्रति सहमत होना होगा और उनके नियुक्ति समय उन्हें एक नॉन डिसक्लोजर पर हस्ताक्षर करने होंगे ।

3) श्रीमती सुनीता कोलेकर, संयुक्त सचिव, (सेवानिवृत्त) उपर्युक्त शर्तों और निबंधनों पर इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं तो उनकी स्वीकृती अधोहस्ताक्षरकर्ता को 15 (पन्द्रह) दिन के भीतर सूचित किया जाए ।



(सुरेन्द्र कुमार)

सहायक नौवहन महानिदेशक

सेवा में,

सुनीता कोलेकर,

सेवा निवृत्त संयुक्त सचिव, महाराष्ट्र सरकार

शीव शंकर गॅलक्सी,

201, सेक्टर-50(नई)

फैल्ट नं. 58, सीवोड पश्चिम,

नवी मुंबई-400 706.

प्रतिलिपि:

1. वेतन एवं लोखा अधिकारी (नौवहन) मुंबई।
2. नौवहन महानिदेशक के वरिष्ठ निजी सचिव।
3. अपर नौवहन महानिदेशक के वरिष्ठ निजी सचिव।
4. उप महानिदेशक (कार्मिक)/सहायक निदेशक (कार्मिक)
5. उप महानिदेशक (वित्तीय एवं लेखा)
6. उप महानिदेशक (प्रशासन)
7. कार्यालय आदेश फाईल